वादीगण ने वाद पेश कर इस्तदुआ की है कि वाद के पैरा सं. 3 के अनुसार अनुसार डिक्री सादिर जावे तथा दौराने वाद प्रतिवादी सं. 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि मौजा के खेत ख.न. 654/1, 654/2, 714, 740 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा भूमि ान, हस्तांतरण रहन गिरवी आदि नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी ता 4 की ओर से वकील श्री चन्द्राराम बिडियासर ने वकालतनाम पेश कर राजीनामा पेश किया। मा बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रवितादी सं. 5 व 6 का सम्मन बाद तामील पत्रावली पर है जो परफोर्मा पक्षकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण स. 1 ता 4 ने न्यायालय के समक्ष हाजिर आकर मा पेश करने तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 परफोर्मा पक्षकार होने से से विवाधक बिन्दू कायम करने की कता नही होने से मिसल वास्ते साक्ष्य हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में मोजा जायल के खाता सं. 290 की नकल खतौनी सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1 व 2, खाता सं. 912 सम्वत 2045–48 की छायाप्रति 3, प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी गंगा एवं पतासी के द्वारा वादीसं0 1 ता 4 के पक्ष में हक त्याग की कृत लिखा पढी प्रदर्श 4 प्रस्तुत की। वादी की ओर से आईन्दा साक्ष्य नहीं कराना चाहने पर साक्ष्य न्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता वादी की बहस अन्तिम सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र त तथ्यों की पुनरूक्ति करते हुये कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक ा हो गया है तथा माफिक बटवाडा वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करसण करते आ रहे है। वादग्रस्त क्षकारान की बडेर की भूमि है तथा बडेर की भूमि होने से सभी पक्षकारान का हक हिस्सा निहित है ादी एवं प्रतिवादीगण अपनी अपनी जोत की घोषणा व जोत का विभाजन कराने के अधिकारी होने से का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावें तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में दरामद करने हेतु तहरीर जारी की जावे।

वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत शपथ पत्र गवाहों, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड गवाहो के शपथ पत्र व जमाबन्दी नकल खाता सं. 290 व 296 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, नकल सम्वत 2045–48 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। मौजा के खेत ख.न. 654/1 व 654/2, 714 व 740 प्रतिवादी सं. 1 खातेदारी मे दर्ज है जो प्रथम दृष्टया त के नामांतकरण के जरिये दर्ज होना प्रतित होती है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के बडेर की भूमि रही समें वादी एव प्रतिवादीगण का हक अधिकार निहित होने से वाद की ताहिद होती है। प्रतिवादीगण सं. व 4 ने पूर्व मे पक्षकारान के मध्य भूमि का बंटवाडा को स्वीकार कर इन खसरा नम्बरों में अपना हक नहीं होने का कथन किया है। प्रतिवादी सं. 1 , 3 व 4 का हक हिस्सा नहीं रखना जो कि हमारी में मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण की श्रेणी मे आता है। वादी द्वारा आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि ीयक जायल के पास जमा होने पर तथा पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति होने अनुसार डिक्री जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वाद वादी का स्वीकार किया जाकर निम्न डिक्री किया जाता कि–

. वादी हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत ख.न. 740 रकबा 1.1412 हेक्टेयर मे से रकबा 0.2853 हेक्टेयर, ख.न. 714 रकबा 1.9668 हेक्टेयर मे से 0.4917 हेक्टेयर तथा ख.न. 641/ रकबा 1.4731 हेक्टेयर मे से 0.4047 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. वादी तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत ख.न. 740 रकबा 1.1412 हेक्टेयर मे से रकबा 0.2853 हेक्टेयर, ख.न. 714 रकबा 1.9998 हेक्टेयर मे से 0.4917 हेक्टेयर तथा ख.न. 641/ रकबा 1.4731 हेक्टेयर मे से 0.4147 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

3. वादी मुन्नीराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत ख.न. 740 रकबा 1.1412 हेक्टेयर मे से रकबा 0.2853 हेक्टेयर, ख.न. 714 रकबा 1.9998 हेक्टेयर मे से 0.4917 हेक्टेयर तथा ख.न. 641/ रकबा 1.4731 हेक्टेयर मे से 0.4147 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है।

4. वादी गणेशराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत ख.न. 740 रकबा 1.1412 हेक्टेयर मे से रकबा 0.2853 हेक्टेयर, ख.न. 714 रकबा 1.9998 हेक्टेयर मे से 0.4917 हेक्टेयर तथा ख.न. 641/ रकबा 1.4731 हेक्टेयर मे से 0.2590 हेक्टेयर माफिक नजरी नक्सानुसार तथा ख.न. 654/2 रकबा 0.1457 हेक्टेयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।

5. प्रतवादी सं. 1, 3 व 4 के हक बंट में अराजीयात भूमि मे से बंट नही रखने से उनके नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार जायल को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 के द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में त्याग करने से नियमानुसार हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण होने पर स्टाम्प ड्यूटी राजकोष मे जमा करवाने पर माफिक घोषणा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्सानुसार बंट घोषित होने से नजरी नक्सा निर्णय एवं डिकरी आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुरुप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को तहरीर जारी हो।

([illegible] वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 23/04/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

([illegible] वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner